

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, सम्मल में पंजीकृत/नवीनीकृत व भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित निम्न कार्य/पार्क (बच्चों के खेल का मैदान) के सुदृढीकरण हेतु दिनांक:-18.05.2018 सांय 05.00 बजे तक ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। बेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर निविदा प्रपत्र शुल्क ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान (भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या-37476141594 IFSC CODE-SBIN000711, BANK CODE-0711 में) द्वारा निर्धारित मूल्य (जीएसटी सहित) जमा कर निविदाओं को दिनांक:-09.05.2018 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक:-18.05.2018 समय सांय 05:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्मल के नाम बन्धक होगी, प्राप्त निविदायें दिनांक:-19.05.2018 दोपहर 02.00 बजे नगर पालिका परिषद, सम्मल के कार्यालय में खोली जायेंगी एवं सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रह सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक को निविदा खोला जाना सम्भव नहीं होगा, तो सूचना पृथक से पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेबसाइट पर ही अपलोड किया जायेगा, इस स्थिति में संशोधित ई-निविदा ही मान्य होगी। निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेबसाइट पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। बेबसाइट पर पंजीकरण कमी भी कराया जा सकता है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं हो पायेगा। उपरोक्त ई-निविदा सूचना का विस्तृत विवरण एवं शर्त बेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्मल में भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत लागत		धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा मूल्य (28%) जीएसटी सहित।	कार्य की अवधि
		योजना (धनराशि लाख में)	अनुक्षण एवं रख-रखाव (5 वर्ष तक) (धनराशि लाख में)			
1	बच्चों के खेल का मैदान/पार्क का सौन्दर्यीकरण।	52.70	8.95	527	6750/-रु0	2 माह

शर्त :-

- 01- ई-निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।
- 02- जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्मल के नाम बन्धक होना अनिवार्य है। पालिका कोष में नकद जमा करने की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक में नगर पालिका परिषद, सम्मल के खाता संख्या-37476141594 में जमा करके निर्धारित प्रारूप की रसीद टैण्डर के साथ संलग्न करना होगा। चैक मान्य नहीं होगा।
- 03- ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर दिनांक:-09.05.2018 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक:-18.05.2018 समय सांय 05:00 बजे तक ऑनलाइन डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं।
- 04- उक्त निविदायें दिनांक:-19.05.2018 दोपहर 02:00 बजे इस कार्यालय में खोली जायेंगी।
- 05- बिना जमानत धनराशि के प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक सूची में अंकन नहीं किया जायेगा।
- 06- सशर्त कोई भी टैण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 07- निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूपों पर आवश्यक अर्हताओं के स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ रखी जायेंगी। आवश्यक अर्हताओं का विवरण निविदा प्रपत्र में निहित होगा।
- 08- शासनादेशों के अनुपालन में ठेकेदारों/निविदादाताओं की निविदा की दरें 15 प्रतिशत से अधिक न्यून (बिलों) प्राप्त होने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 09- यदि निविदादाता आगणन से कम पर निविदा डालता है तो उसे शासनादेश संख्या:-622/23-12-2012-2 ऑडिट/8टी0सी0/2 लखनऊ दिनांक:-08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
- 10- भविष्य निधि संगठन कार्यालय में ठेकेदार/फर्म का पंजीयन (ईपीएफ कोड) होना अनिवार्य है।
- 11- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एवं कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 2005) के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्यार्थ श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- 12- प्रमुख सचिव के पत्र संख्या:-3385/86-2015-292/2015 दिनांक:-15 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एफ0एम0-11) के आधार पर परिवहन किये जाय। बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्य रायल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा कर दी जायेगी।
- 13- निविदादाता द्वारा किसी भी संस्था में काली में सूची में दर्ज न होने की शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह टैण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
- 14- फर्म द्वारा यदि कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो फर्म द्वारा इस हेतु जारी अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

- 15- फर्म द्वारा वार्षिक निर्माण कार्य के साथ-साथ सम्बन्धित पार्क का 05 वर्ष तक अनुरक्षण एवं रख-रखाव किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में जमा की गयी 10 प्रतिशत धनराशि पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने/अनुरक्षण अवधि सन्तोषजनक समाप्त होने के पश्चात् ही वापस की जायेगी।
- 16- टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा।
- 17- टैण्डर के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर स्व-घोषणा-पत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 18- स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
- 19- लेबर सैस की कटौती 01 प्रतिशत की दर से नियमानुसार की जायेगी।
- 20- कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- 21- किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सम्मल का होगा।

(राशिद अली खाँ)  
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, सम्मल

(आरिफा)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, सम्मल

संख्या एवं दिनांक - तदैव।

प्रतिलिपि : -निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
02. अपर जिलाधिकारी (वि0-रा0)/प्रमारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, सम्मल।
03. उप जिलाधिकारी, सम्मल।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्मल।
05. कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्मल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
06. श्री योगेश कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर को उक्त ई-निविदा सूचना बेवसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड करने हेतु।
07. संवाददाता श्री. क. ज्ञानेश्वर एवं संवाददाता श्री. क. ज्ञानेश्वर हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, सम्मल को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को आगामी अंक में फ्रान्ट साइज 7 सिंगल स्पैस में कम से कम दशों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
08. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, सम्मल

आरिफा  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, सम्मल